

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(129)वित्त-1(1)आय.व्य/2018


जयपुर, दिनांक : 02-08-2019

-: आज्ञा :-

संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ.6/बजट/सीटीएडी/2018-19 स्वीकृति संख्या 06/2019-20 दिनांक 08.07.2019 राशि रु 133.33 लाख तथा स्वीकृति संख्या 08/2019-20 दिनांक 08.07.2019 राशि रु 91.66 लाख एवं समसंख्यक संशोधित स्वीकृति संख्या 10/2019-20 दिनांक 24.07.2019 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राशि रु. 224.99 लाख (अक्षरे रुपये दो करोड़ चौबीस लाख निम्नान्वे हजार) मात्र की सीमा तक के लिये मुख्य अभियंता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को निम्नांकित बजट शीर्षों से राशि आहरित कर व्यय करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है:-

क्र.सं.	बजट शीर्ष	राशि रु. (लाखों में)
1.	मांग संख्या-30 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-अनुसूचित जन जातियों का कल्याण 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (20)-जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.) [02]-जनजाति छात्र/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण 17-वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)	133.33
2.	(22)-बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.) [02]-छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण 17-वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)	91.66
	योग	224.99

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। इसके अंक मिलान का दायित्व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का होगा।

  
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. मुख्य अभियंता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संबंधित वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) कृपया विभाग को राशि उपलब्ध करावे।
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)